संख्याः–1094/अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त, 2019

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना के पत्र सं0–म0भो0प्रा0/सा/840/2019–20, दिनांक 09.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझें आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुल 1,68,768 विद्यालय संचालित है, जिनमें **4769** विद्यालयों को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना अवशेष है। इस हेतु प्रति विद्यालय एक गैस कनेक्शन (एक सिलेन्डर सहित) हेतु रू0–**2970**/– तथा एक गैस चूल्हा (गैस भट्टी) हेतु रू0–**1500.00** की धनराशि आगणित की गयी है। **4769** विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय प्रति कनेक्शन व चूल्हा रू0–**4470** की दर से धनराशि रू0 **213.1743** लाख (रूपये दो करोड़ तेरह लाख सत्रह हजार चार सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत धनराशि का राजकोष से आहरण एकमुश्त न करते हुए प्रत्येक माह की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(2) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–22.03.2019 में निहित उपबन्धों/शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

(3) प्रश्नगत निर्गत की जा रही समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का अलग से लेखा जोखा रखा जायेगा और इस धनराशि को जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।

(5) इस धनराशि से प्राप्त की गयी उपर्युक्त सामग्री का पूर्ण विवरण स्टॉक पंजिका में नियमानुसार अंकित किया जायेगा।

(6) एक परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिस विद्यालय में किचेन कम स्टोर निर्मित है, उसी विद्यालय के नाम ही एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय किया जायेगा।

(7) विद्यालय में मध्यान्ह भोजन निधि खाते का संचालन जिनके द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा ही नियमानुसार एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एल0पी0जी0 कनेक्शन हेतु विकास खण्ड के चयनित विद्यालयों का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

(9) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एल0पी0जी0 कनेक्शन समान दर पर क्रय करने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यालयों में निकटस्थ गैस एजेन्सी के माध्यम से कनेक्शन क्रय कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(10) अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्वयं सेवी संस्था से आच्छादित विद्यालयों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(11) एल0पी0जी0 कनेक्शन (सिलेण्डर एवं चूल्हा आदि) की सुरक्षा का दायित्व प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ग्राम प्रधान/वार्ड–सभासद/शिक्षक–अभिभावक संघ के अध्यक्ष/अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति आदि का होगा।

(12) क्रय किये गये गैस चूल्हा (गैस भट्‌टी) आदि पर "मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 व विद्यालय का नाम" अंकित किया जायेगा।

(13) जिन विद्यालयों के एल0पी0जी0 सिलेण्डर/गैस चूल्हा (गैस भट्‌टी) चोरी हो चुके हैं, उन विद्यालयों हेतु उक्त धनराशि से एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय नहीं किया जायेगा।

(14) गैस रिफिल की दर में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत रू0 914/– प्रति सिलेण्डर की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके संबंध में अपेक्षित है कि विद्यालय स्तर पर धनराशि का आवंटन तत्समय जनपद में गैस रिफिल की प्रभावी दर के आधार पर किया जाये तथा कनेक्शन क्रय के उपरान्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।

(15) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 02 माह के अन्दर क्रय कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तद्नुसार अगले 01 माह के अन्दर जनपद में उक्त धनराशि से क्रय किये गये नवीन कनेक्शन, गैस सिलेण्डर व चूल्हा (गैस भट्‌टी) की पुष्टि करते हुए उपभोग प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को सीधे उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति प्राधिकरण को भी प्रेषित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के **अनुदान संख्या–71, लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–05–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत एल.पी.जी. कनेक्शन का क्रय–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)"** के नामें डाला जाना प्रस्तावित है।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–ई–11–764/दस–19, दिनांक–20 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1094(1)/68–3–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– श्रम आयुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक ,बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
11– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
13– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
14– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव।

G.O. No. ______________________

(Mid Day Meal Scheme)

Fund Allocation of LPG 2019-20

(Rs. In Lakh)

S.No.	Name of District	No of Schools Where LPG Connection is Required	Fund is being released @ 2970/- per unit for LPG Connection	Fund is being released @ 1500/- per unit for GAS Stove/Bhatti	Grand Toral
1	2	3	4	5	6
1	01-Agra	499	14.8203	7.485	22.3053
2	02-Aligarh	0	0	0	0
3	03-Prayagraj	558	16.5726	8.37	24.9426
4	04-Ambedkar Nagar	0	0	0	0
5	05-Auraiya	0	0	0	0
6	06-Azamgarh	189	5.6133	2.835	8.4483
7	07-Badaun	921	27.3537	13.815	41.1687
8	08-Baghpat	0	0	0	0
9	09-Bahraich	0	0	0	0
10	10-Ballia	0	0	0	0
11	11-Balrampur	0	0	0	0
12	12-Banda	48	1.4256	0.72	2.1456
13	13-Barabanki	0	0	0	0
14	14-Bareilly	156	4.6332	2.34	6.9732
15	15-Basti	5	0.1485	0.075	0.2235
16	16-Bhadohi	2	0.0594	0.03	0.0894
17	17-Bijnor	0	0	0	0
18	18-Bulandshahr	0	0	0	0
19	19-Chandauli	0	0	0	0
20	20-Chitrakoot	61	1.8117	0.915	2.7267
21	21-Amethi	0	0	0	0
22	22-Deoria	0	0	0	0
23	23-Etah	0	0	0	0
24	24-Faizabad	60	1.782	0.9	2.682
25	25-Farrukhabad	223	6.6231	3.345	9.9681
26	26-Fatehpur	0	0	0	0
27	27-Firozabad	0	0	0	0
28	28-G.B. Nagar	0	0	0	0
29	29-Ghazipur	0	0	0	0
30	30-Ghaziabad	22	0.6534	0.33	0.9834
31	31-Gonda	7	0.2079	0.105	0.3129
32	32-Gorakhpur	0	0	0	0
33	33-Hameerpur	26	0.7722	0.39	1.1622
34	34-Hardoi	0	0	0	0
35	35-Hathras	11	0.3267	0.165	0.4917
36	36-Itawah	39	1.1583	0.585	1.7433
37	37-J.P. Nagar	0	0	0	0
38	38-Jalaun	0	0	0	0
39	39-Jaunpur	0	0	0	0
40	40-Jhansi	46	1.3662	0.69	2.0562

S.No.	Name of District	No of Schools Where LPG Connection is Required	Fund is being released @ 2970/- per unit for LPG Connection	Fund is being released @ 1500/- per unit for GAS Stove/Bhatti	Grand Total
1	2	3	4	5	6
41	41-Kannauj	0	0	0	0
42	42- Kanpur Dehat	165	4.9005	2.475	7.3755
43	43-Kanpur Nagar	15	0.4455	0.225	0.6705
44	44-Kaas Ganj	0	0	0	0
45	45-Kaushambi	0	0	0	0
46	46-Kushinagar	53	1.5741	0.795	2.3691
47	47-Kheri	27	0.8019	0.405	1.2069
48	48-Lalitpur	0	0	0	0
49	49-Lucknow	0	0	0	0
50	50-Mahoba	0	0	0	0
51	51-Maharajganj	0	0	0	0
52	52-Mainpuri	181	5.3757	2.715	8.0907
53	53-Mathura	0	0	0	0
54	54-Mau	0	0	0	0
55	55-Meerut	7	0.2079	0.105	0.3129
56	56-Mirzapur	0	0	0	0
57	57-Moradabad	0	0	0	0
58	58-Muzaffar Nagar	0	0	0	0
59	59-Pilibhit	19	0.5643	0.285	0.8493
60	60-Pratapgarh	0	0	0	0
61	61-Raebareily	917	27.2349	13.755	40.9899
62	62-Rampur	0	0	0	0
63	63-Saharanpur	84	2.4948	1.26	3.7548
64	64-S.K.Nagar	0	0	0	0
65	65-Shahjahanpur	1	0.0297	0.015	0.0447
66	66-Shravasti	347	10.3059	5.205	15.5109
67	67-Siddhart Nagar	0	0	0	0
68	68-Sitapur	0	0	0	0
69	69-Sonbhadra	0	0	0	0
70	70-Sultanpur	66	1.9602	0.99	2.9502
71	71-Unnao	0	0	0	0
72	72-Varanasi	0	0	0	0
73	73-Sambhal	0	0	0	0
74	74-Hapur	0	0	0	0
75	75-Shamli	14	0.4158	0.21	0.6258
	Total	**4769**	**141.6393**	**71.535**	**213.1743**

(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ